राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(13)नविवि/3/2000, जयपुर, दिनांक: 13.12.2000

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त, [illegible]

विषय:- नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग के नियमन/आवंटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि:-

(1) कृषि भूमि के नियमन से संबंधित जो राशि ली जानी है वह भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख) के तहत खातेदारी अधिकारों को पर्यावसान से पूर्व जमा की जाने अथवा बाद में।

(2) पट्टे जारी करने पर पट्टे पर कौन अधिकारी हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगें।

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम 1999 के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 में जोड़ी गयी धारा 90(ख) में कृषि भूमि के नियमन के सम्बन्ध में पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान के उपरान्त ही नियमन राशि जमा किया जाना उपयुक्त होगा।

बिन्दु (2) के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि कृषि भूमि नियमन की कार्यवाही के उपरान्त जारी किये जाने वाले पट्टे पर सचिव, नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद/निगम/पालिका क्षेत्र के प्रकरणों में सम्बन्धित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें।

भवदीय,

उप शासन सचिव,

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसकी प्रतिलिपि समस्त नगर परिषद/निगम/नगरपालिकाओं को अपने स्तर से भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सवाई माधोपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप विधि परामर्शी,

/एम.ए./